रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 713] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 2019/अग्रहायण 19, 1941
No. 713] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 2019/AGRAHAYANA 19, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 902(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 215बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे अथवा js-tpt@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (संशोधन ....) नियम, 2019 कहा जा सकता है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाश की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में:-

I. _____ नियम के पश्चात, निम्नलिखित अध्याय शामिल किया जाएगा।

'अध्याय ____ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड

नियम ____ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना

(1) केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और इसे समनुदेशित प्रकार्यों के निष्पादन के लिए, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 6 महीने के भीतर इस अधिनियम की धारा 215ख (1) के अनुसार एक बोर्ड का गठन करेगी, जिसे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड कहा जाएगा।

(2) यह बोर्ड ऊपर उक्त नाम का निगमित निकाय होगा, जिसके पास संविदा करने और उक्त नाम से वाद लाने और वाद लाए जाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन शक्तियों के साथ शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी।

(3) बोर्ड का मुख्य कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 के धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट किया गया है।

(4) यह बोर्ड भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

नियम ____ बोर्ड की संरचना

(1) बोर्ड निम्नलिखित से गठित होगा :-

(क) केंद्र सरकार द्वारा उप-धारा, (2) में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त अध्यक्ष एवं तीन से कम नहीं परंतु सात से अनधिक सदस्य;

परंतु यह तब जबकि कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है या रहा है, को निम्नलिखित के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा --

(i) अध्यक्ष, जब तक कि उन्होंने भारत सरकार में सचिव अथवा इसके समकक्ष का पद धारित न किया हो;

(ii) कोई सदस्य, जब तक कि उन्होंने भारत सरकार में अपर सचिव अथवा इसके समकक्ष का पद या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समकक्ष पद धारित न किया हो;

परंतु यह और कि कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा में नही हैं या नहीं रहा है, निम्नलिखित के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा,

(i) अध्यक्ष, जब तक कि उसने उप-नियम (2) के अंतर्गत उल्लिखित किसी क्षेत्र में 20 वर्षों के न्यूनतम अनुभव के साथ 55 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो;

(ii) कोई सदस्य, जब तक कि उसने उप-नियम (2) के अंतर्गत उल्लिखित किसी क्षेत्र में 20 वर्षों के न्यूनतम अनुभव के साथ 45 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो;

(ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि एक पदेन सदस्य होंगे।

(2) बोर्ड का प्रत्येक सदस्य सड़क परिवहन और सुरक्षा, शहरी आयोजना, विधि, यातायात प्रबंधन और विनियमन, स्वास्थ्य अथवा वकालत, पुलिस प्रवर्तन और अन्वेषण, बीमा, ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी, सिविल अभियांत्रिकी, विपणन और संचार में से एक अथवा अधिक क्षेत्र में विशेष ज्ञान, या पेशेवर अनुभव, जो केंद्रीय सरकार की राय में बोर्ड को इस अधिनियम के अंतर्गत अपने प्रकार्यों का निष्पादन करने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयोगी है, रखने वाले योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा।

(3) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य होंगे।

(4) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा यथा विहित तरीके से चयनित होंगे और उनकी नियुक्ति सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

नियम _____ अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल

(1) किसी व्यक्ति को अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त करने से पूर्व केंद्रीय सरकार स्वयं को संतुष्ट करेगी कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके प्रकार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

(2) अध्यक्ष अथवा सदस्य अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पदग्रहण करेंगे और अधिकतम एक और कार्यकाल के लिए पुन:नियुक्ति के पात्र होंगे।

परंतु यह और कि, कोई अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य पद धारित नहीं करेगा यदि उसने -

(क) अध्यक्ष के मामले में, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो;

(ख) किसी अन्य सदस्य के मामले में, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो

(3) अध्यक्ष का वेतन, भत्ता एवं सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें भारत सरकार के सचिव के समतुल्य होंगी एवं अन्य सदस्यों के लिए ये भारत सरकार के अपर सचिव के समतुल्य होंगी।

(4) अध्यक्ष और सदस्यों के सेवा की निबंधन एवं शर्तें, उनकी नियुक्ति के पश्चात्, उनके अपहित में परिवर्तित नहीं होंगी।

नियम _____ अध्यक्ष एवं सदस्यों का त्यागपत्र

(1) बोर्ड का अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, केंद्र सरकार को अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व कम तीन महीने पहले अग्रिम में लिखित सूचना प्रदान कर किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, उप-धारा (1) के अंतर्गत नोटिस देकर खाली हुए पद पर केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के नियुक्त किए जाने तक अथवा नोटिस की तिथि से तीन माह बीत जाने तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा।

नियम _____ अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाना

(1) केंद्र सरकार किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, जो -

(क) दिवालिया है, या किसी भी समय एक दिवालिया घोषित किया गया है; अथवा

(ख) किसी ऐसे अपराध में दोषी ठहराया जाता है, जिसमें, केंद्र सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल है; अथवा

(ग) जो अपने कार्य निष्पादन के लिए शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम हो गया है;

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय अथवा अन्य हित अर्जित कर लिया हो जिससे उनके एक सदस्य के रूप में कार्य करना अहितकर हो सकता है;

(ङ) जिसने, केंद्रीय सरकार की राय में, अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे उसके पद पर बने रहना जनहित के लिए अहितकर हो; अथवा

(च) अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य नियोजन में कार्य करने लगा हो;

(छ) अध्यक्ष को सूचित किए बिना अपने कार्य से सात दिन से अधिक की अवधि के लिए बिना किसी औचित्यपूर्ण कारण से अपने कार्यालय से और पश्चातवर्ती कर्तव्य निवर्हन से अनुपस्थित रहा हो।

(2) किसी अध्यक्ष अथवा सदस्य को उप-नियम (1) के खंड (घ) अथवा खंड (ड़) के तहत उनके कार्य से हटाया नहीं जाएगा जब तक उन्हें उस मामले में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

नियम ___ बोर्ड के सदस्य के नियोजन का निषेध

(1) बोर्ड का अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, उस तिथि से जिस तिथि से वह अपना पदधारण करने से पदविरत हो जाता है, एक वर्ष की अवधि तक इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड से संबद्ध कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा।

परंतु यह तब जबकि इस धारा के प्रावधान वैसे मामले में लागू नहीं होंगे जहां इस संबंध में केंद्रीय सरकार से लिखित में विशिष्ट अधिकार-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि पदधारण से पदविरत होने के बाद एक वर्ष पूरा होने से पूर्व किसी एजेंट, प्रशासक, अधिकारी, निदेशक, प्रतिधारक, कार्यकारिणी समिति का सदस्य अथवा शेयरधारक अथवा इक्विटी स्वामी अथवा लाभकारी स्वामी के रूप में कार्यरत अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित होने का अर्थ लगाया जाएगा।

नियम ____ बोर्ड के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी

(1) बोर्ड केंद्र सरकार के पूर्व-अनुमोदन से ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत इसके कार्य के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक समझता हो, को केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त कर सकता है।

(2) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें और संदेय वेतन एवं भत्ते और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बोर्ड के विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

नियम ____ बोर्ड की शक्तियां और प्रकार्य

(1) बोर्ड सड़क सुरक्षा, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने एवं यातायात और मोटर वाहन नियमीकरण के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) उप-नियम (1) के उद्देश्यों के लिए, बोर्ड, केन्द्र सरकार द्वारा विचार के लिए निम्नलिखित सहित दिशा-निर्देश और विनियमों का नियमन करेगा:

(क) डिजाइन, भार, निर्माण, विनिर्माण प्रक्रिया, संचालन और रखरखाव, मोटर वाहनों और सुरक्षा उपकरणों के प्रत्याह्वान के मानक;

(ख) मोटर वाहनों का पंजीकरण और लाइसेंसिंग;

(ग) सड़क सुरक्षा, सड़क अवसंचना और यातायात के नियंत्रण के लिए मानकों का नियमन;

(घ) देश में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और सड़क निर्माण के लिए विशिष्ट मानकों का विनियमन;

(ड.) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के प्रशासन पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को तकनीकी सलाह और सहायता प्रदान करना;

(च) सुरक्षा उपकरणों की लागतों का निर्धारण;

(छ) राज्य प्राधिकारियों के साथ सलाह करके व्यवसायिक संस्थानों, सूचना पट्टों और व्यवसायिक संकेतकों के विनियमन के लिए एक विनियामक ढांचा विकसित करना;

(ज) सड़कों और राजमार्गों पर यातायात संबंधी चोटों से निपटने के लिए ट्रॉमा सुविधाओं और परा-चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना और संचालन के लिए दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट करना;

(झ) इस तरह की सहायता को पहुंचाने वाले की जिंदगी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना एक सड़क दुर्घटना के पीडितों के लिए अधिकतम सहायता सुनिश्चित करने के लिए नेक व्यक्ति के सिद्धांत को प्रोत्साहित करना;

(ञ) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से निपटने वाले यातायात पुलिस, अस्पताल प्राधिकारियों, राजमार्ग प्राधिकारियों, शैक्षिणक और अनुसंधान संगठनों और अन्य संगठनों के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट करना;

(ट) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में अच्छी प्रथाओं को बढ़ावा देना और उसका समर्थन करना, सड़क सुरक्षा और यातायात शिक्षा कार्यक्रमों को चलाना और सड़क प्रयोक्ताओं के सभी वर्गों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाना;

(ठ) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में शेयरधारकों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना और कुशल यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा प्रथाओं के प्रोत्साहन में उनकी सहायता करना;

(ड) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से संबंधित मामलों में अन्य एजेंसियों जैसे शिक्षा बोर्ड और संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय रखना;

(ढ) सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं;

(ण) सड़क परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र के सुरक्षित और सतत प्रयोग को बढ़ावा देना;

(त) वार्षिक रूप से इसके द्वारा तय किए गए निष्पादन लक्ष्य;

(थ) अधिनियम के खंड 2 (ख) के अनुसार साधारण रूप से वाहन इंजीनियरिंग, यंत्रवत वाहनों और यातायात के क्षेत्रों में नवाचार, अनुसंधान और विकास के माध्यम से नई वाहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना;

(द) असुरक्षित सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा;

(ध) मोटर वाहनों और सड़कों के लिए अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में योगदान देना;

(न) मोटर वाहन मानकों के कार्यों पर अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय को बढ़ावा देना;

(प) अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों और घरेलू तकनीकी मानकों के बीच निरंतरता को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना कि देश में अपनाए गए सुरक्षा के स्तर से कोई समझौता न किया गया हो;

(फ) डाटा एकत्र करके अनुसंधान करना और सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, दुर्घटना जांच में सुधार के लिए विश्लेषण और आयोजना गतिविधियों का संचालन करना और इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए यथावश्यक अन्य उपाय करना;

(ब) सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए यथावश्यक ऐसी योजनाओं को तैयार करना और लागू करना;

(भ) तकनीकी सहयोग, गतिविधियों का समन्वय, सूचना और डाटा संग्रहण का आदान-प्रदान, संयुक्त परियोजनाओं का विकास और कार्यान्वयन और इसके उत्तरदायित्व के अंदर आने वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान;

(म) प्रतिस्पर्धा, नवाचार, कुशलता को प्रोत्साहित करना और संसाधनों का किफायती प्रयोग;

(य) केन्द्र सरकार द्वारा इससे संदर्भित ऐसे अन्य मामले;

नियम_____बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य

अध्यक्ष के पास बोर्ड के मामलों के आचरण में सामान्य अधीक्षण और निर्देशों की शक्ति होगी और वह बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करने के अलावा बोर्ड की ऐसी शक्तियों और कार्यों का निर्वहन करेगा जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित या बोर्ड द्वारा उसको प्रत्यायोजित की गई हों।

नियम ____ बोर्ड की बैठकें

1) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य एक महीने में कम से कम एक बार बैठकें करेंगे और ऐसे समय और स्थानों पर और ऐसी बैठकों के लिए कोरम सहित बैठकों के कारोबार संचालन के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों का पालन करेंगे जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित हों।

2) अध्यक्ष या कोई सदस्य, जिसका बोर्ड की बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है, जैसे ही वह उसके संज्ञान में आता है, बोर्ड को हित की प्रकृति का प्रकटीकरण करेगा।

3) उप-खंड (3) के तहत अध्यक्ष या एक सदस्य द्वारा किए गए प्रकटन को बैठक की कार्यवाही में रिकार्ड किया जाएगा और अध्यक्ष या ऐसा सदस्य उस मामले या उससे संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में किसी विचार-विमर्श या बोर्ड के निर्णय से खुद को अलग कर लेगा:
बशर्ते कि यदि अध्यक्ष को बोर्ड की कार्यवाही से खुद को अलग रखना है तो वह उस मामले के लिए अध्यक्ष के कार्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड के एक सदस्य को नामित करेगा।
बशर्ते कि किसी सदस्य को बोर्ड की कार्यवाही से खुद को अलग रखना है तो केन्द्र सरकार बैठक में भाग लेने के लिए एक व्यक्ति को अधिकृत करेगी।

4) इस संबंध में बोर्ड के सभी आदेश और निर्णय बोर्ड द्वारा अधिकृत सदस्य द्वारा प्रमाणिकृत किए जाएंगे।

5) बोर्ड के किसी कार्य या कार्यवाही पर केवल बोर्ड के गठन में किसी रिक्ति या दोष के आधार पर प्रश्न नहीं किया जाएगा और न ही अमान्य किया जाएगा।

नियम__-तकनीकी कार्यकारी समूह

1) बोर्ड इसके कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए इतने तकनीकी कार्यकारी समूहों का गठन कर सकेगा जितना वह आवश्यक समझता हो, इन समूहों में स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ होंगे जिनके पास अपने कर्तव्यों के निर्वहन में स्वतंत्र निर्णय लेने और उसे बनाए रखने की क्षमता होगी।

2) उप-खंड (1) के तहत गठित किया गया प्रत्येक तकनीकी कार्यकारी समूह की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा नामित बोर्ड के ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जिसको संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव होगा।

3) इसको सौंपे गए मामलों पर विचार-विमर्श के लिए तकनीकी कार्यकारी समूह संबंधित उद्योग और उपभोक्ता प्रतिनिधि को इस विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा।

4) तकनीकी सदस्यों की संख्या और उपर्युक्त उप-खंड (1) के तहत तकनीकी कार्यकारी समूहों को गठित किए जाने के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी जो बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हो।

5) उप-खंड (1) के तहत गठित तकनीकी कार्यकारी समूह को निम्नलिखित मामलों में से कोई भी मामला सौंपा जा सकता है, नामत:-

   (क) सड़क मानकों सहित परिवहन अवसंरचना और सुरक्षा;

   (ख) यातायात प्रबंधन;

   (ग) दुर्घटना जांच और फोरेंसिक;

   (घ) डाटा संग्रहण और वैश्लेषिकी;

   (ङ) मोटर यान मानक;

   (च) ड्राइविंग कौशल परीक्षण;

   (छ) प्रौद्योगिकी का विकास, इसका प्रयोग और मदिरा के नशे और मादक पदार्थों का सेवन करके तेज गति से वाहनों के चालन को जांचने के लिए परीक्षण मानक;

   (ज) पहले से प्रयुक्त वाहनों की जांच और प्रमाणन;

   (झ) वाहन ईंधन गुणवत्ता;

   (ञ) वाहन शोर मानक;

   (ट) मोटर वाहनों या अन्य पक्षों से संबंधित अन्य पक्षीय बीमा;

   (ठ) बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा गया कोई अन्य मामला जो इस तकनीकी कार्यकारी समूह को सौंपा जा सकता है;

6) बोर्ड समय-समय पर विशेषज्ञों की संख्या को बढ़ाकर और घटाकर या ऐसे समूहों को सौंपे गए विषय मामलों को बदल कर तकनीकी कार्यकारी समूहों को पुनर्गठित कर सकता है।

7) बोर्ड तकनीकी कार्यकारी समूहों के सुचारू कामकाज के लिए प्रशासनिक, वित्तीय और अनुसंधान सहायता प्रदान करेगा।

नियम__-बोर्ड की शक्ति का प्रत्यायोजन

बोर्ड अगर आवश्यक समझे तो, इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों और कार्यों को (विनियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर) लिखित में एक सामान्य ओर विशेष आदेश द्वारा बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी को या ऐसी शर्तों के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को, यदि कोई हो, जो इसके आदेश में विनिर्दिष्ट हो, प्रत्यायोजित कर सकता है।

नियम__-अध्यक्ष और सदस्यों आदि का लोक सेवक होना

अध्यक्ष, सदस्यों और अपीलीय अधिकरण के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थों में लोक सेवक समझा जाएगा।

नियम__- विश्वास में की गई कार्रवाई का संरक्षण

किसी भी बात के लिए जो अच्छी भावना से की गई है या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत किए जाने के लिए प्रयोजित है, केन्द्र सरकार या बोर्ड या केन्द्र सरकार के अन्य अधिकारी या बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

नियम__-अधिकार क्षेत्र की सीमा

किसी भी सिविल कोर्ट के पास किसी भी मामले के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं होगा जिसे बोर्ड नियमों के तहत या द्वारा निर्धारित करने के लिए अधिकार प्राप्त है।

[सं. आरटी-16011/01/2015-आरएस]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या ...., दिनांकित .... द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2019

G.S.R. 902(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 215B of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), email: js-tpt@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government,

Draft Rules

1. Short Title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereafter referred as the said rules).-

   I. After Rule __, the following chapter to be included-

   “Chapter ___ - National Road Safety Board

   Rule____ –Establishment of the National Road Safety Board

   (1) The Central Government shall, within 6 months of commencement of this Act, in accordance with Section 215B(1) of theAct, constitute a Board to be called theNational Road Safety Board, to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

   (2) The Board shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal with power, subject to theprovisions of this Act, to contract and shall, by the said name, sue and be sued.

   (3) The head office of the Board shall be in the National Capital Region referred to in clause (f) of section 2 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985.

   (4) The Board may establish offices at other places in India.

Rule ____ - Composition of the Board

(1) The Board shall consist of:

(a) the Chairman and not less than three but not exceeding seven members to be appointed by the Central Government from amongst the persons who fulfil the criteria specified in sub-section (2):

PROVIDED that a person who is or has been in the service of Government shall not be appointed as —

(i) Chairman, unless he has held the post of Secretary or its equivalent, to the Government of India;

(ii) a member, unless he has held the post of Additional Secretary or its equivalent, to the Government of India or any equivalent post in the Central Government or the State Government;

PROVIDED further that a person who is not or has not been in the service of the Government shall not be appointed as –

(i) Chairman, unless he has attained 55years of age coupled with a minimum experience of 20 years in any of the fields mentioned under sub-rule (2);

(ii) A member, unless he has attained 45 years of age coupled with a minimum experience of 20 years in any of the fields mentioned under sub-rule (2);

(b) the Secretary to the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways or his representative who shall be an ex-officio member.

(2) Every member of the Board shall be a person of ability, integrity and standing, having special knowledge of, or professional experience in, one or more fields of road transport and safety, urban planning, law, traffic management and regulation, health and advocacy, police enforcement and investigation, insurance, automobile engineering, civil engineering, marketing and communications, which, in the opinion of the Central Government, is useful for the Board to render its functions and fulfil its objectives under this Act.

(3) The Chairman and other members of the Board shall be whole-time members.

(4) The Chairman and other members of the Board shall be selected in such manner as may be prescribed by the Central Government and their appointment shall be notified in the Official Gazette.

Rule ___ - Term of office of Chairman and other members

(1) Before appointing any person as a Chairman or Member, the Central Government shall satisfy itself that such person has no financial or other interest that may be prejudicial to his functions as such Chairman or Member.

(2) The Chairman or a Member shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for re-appointment for a maximum of one more term:

PROVIDED further that no Chairman or other Member shall hold office, as such after he attains–

(a) in the case of the Chairman, the age of sixty-five years;

(b) in the case of any other Member, the age of sixty-two years

(3) The salary, allowances, and other terms and conditions of service of Chairman shall be equivalent to that of Secretary to the Government of India and that of other Members shall be equivalent to that of Additional Secretary to the Government of India.

(4) The terms and conditions of service of the Chairman and the Members shall not be varied to their disadvantage after appointment.

Rule ___ - Resignation of Chairman and Members

(1) The Chairman or a Member of the Board may resign office at any time before the expiry of his term, by giving to the Central Government an advance notice in writing of not less than three months.

(2) The Chairman or a Member of the Board, after giving notice under sub-section (1), shall continue to hold office until the Central Government appoints a person to the office so vacated, or till the expiry of three months from the date of notice, whichever is earlier.

Rule ___ - Removal of Chairman and Members

(1) The Central Government may remove from office any member, who-

(a) is, or at any time has been adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of discharging his duties; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as amember; or

(e) has, in the opinion of the Central Government, so abused his position as to render his continuance in office detrimental to the public interest; or

(f) has engaged at any time during his term of office in any other employment; or

(g) has remained absent fromhis office and subsequent discharge of duties without any reasonable cause for a period of more than 7 days, without informing the Chairman.

(2) No Chairman or member shall be removed from his office under clause (d) or clause (e) of sub-rule(1) unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

Rule ___ - Restrictions of employment of Member of the Board

(1) The Chairman or a member of the Board shall not, for a period of one year from the date on which he ceases to hold office as such, accept any employment relating to the Board under this Act.

PROVIDED that the provisions of this section shall not apply in cases where specific authorisation in this regard has been obtained in writing from the Central Government.

Explanation— For the removal of doubts, it is hereby clarified that, the Chairman or a member acting as an agent, administrator, officer, director, retainer, member of the executive committee or shareholder or equity owner or beneficial owner before the expiry of one year on ceasing to hold office as such Chairman or a member shall be construed to have direct or indirect interest.

Rule ___ - Officers and other employees of Board

(1) The Board may, with the prior approval of the Central Government, appoint such officers and other employees as it may consider necessary, for the efficient discharge of its functions under this Act, on deputation from the Central Governmentor State Government or on contract basis.

(2) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the officers and employees of the Board and the number of such officers and employees shall be such as may be specified by the Board by regulations.

Rule __ - Powers and Functions of the Board

(1) The Board shall be responsiblefor promoting road safety, innovation and adoption of new technology and for regulating traffic and motor vehicles.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the Board shall, for consideration by the Central Government, formulate guidelines and regulations including but not limited to:

(a) the standards of design, weight, construction, manufacturing process, operation and maintenance, recall of motor vehicles and of safety equipment;

(b) the registration and licensing of motor vehicles;

(c) the formulation of standards for road safety, road infrastructure and control of traffic;

(d) the formulation of specific standards for road safety, traffic management and road construction for hilly regions in the country;

(e) provide technical advice and assistance to the Central Government, State Government and local authorities on administration of road safety and traffic management;

(f) the determination of costs of safety equipment;

(g) develop, in consultation with State Authorities, a regulatory framework for regulation of commercial establishments, billboards and commercial signage;

(h) specify guidelines for establishing and operating trauma facilities and para-medical facilities for dealing with traffic related injuries on roads and highways;

(i) promote the principle of Good Samaritan so as to ensure maximum aid for victims of a road accident without causing any impediment to the life of those facilitating such aid;

(j) specify guidelines for capacity building and development of skills for traffic police, hospital authorities, highway authorities, educational and research organisations and other organisations dealing with road safety and traffic management;

(k) promote good practices in road safety and traffic management and advocacy of the same, undertake road safety and traffic education programmes, and conduct campaigns to create awareness amongst all sections of road users;

(l) involve stakeholders and non-government organisations working in the area of road safety and traffic management, and assist them in promotion of efficient traffic management and road safety practices;

(m) co-ordinate with other agencies such as education boards and institutions, health services and non-government organisations in matters relating to road safety and traffic management;

(n) public-private partnership projects and schemes;

(o) the facilitation of safe and sustainable utilisation of road transport ecosystem;

(p) the performance targets set by it annually;

(q) the promotion of new vehicle technology through innovation, research and development in the fields of vehicular engineering, mechanically propelled vehicles and transportation in general as per Section 2B of the Act;

(r) the safety of vulnerable road users;

(s) contribute to the development of international technical standards for motor vehicles and roads;

(t) promote co-ordination with the international governmental organisations and non-governmental organisations on the work of motor vehicle standards;

(u) promote consistency between international technical standards and domestic technical standards and ensure that the level of safety adopted in the country is not compromised;

(v) conduct research, by way of collecting data and undertake analysis and planning activities to improve road safety, traffic management, crash investigation and such other measures as may be necessary for the purposes of this Act;

(w) prepare and implement such plans as may be necessary to improve road safety;

(x) establish a network of organisations to facilitate technical co-operation, co-ordination of activities, exchange of information and data collection, the development and implementation of joint projects, exchange of expertise and best practices in the fields which falls within its responsibility;

(y) encourage competition, innovation, efficiency and economical use of resources;

(z) such other matters as may be referred to it by the Central Government.

Rule __ - Powers and Functions of Chairman of Board

The Chairman shall have powers of general superintendence and directions in the conduct of affairs of the Board and he shall, in addition to, presiding over the meetings of the Board, exercise and discharge such powers and functions of the Board as may be prescribed by the Central Government, or delegated to him by the Board.

Rule __ - Meetings of the Board

(1) The Chairman and the members of the Board shall, meet at least once a month, and at such times and places, and observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings, including quorum for such meetings, as may be prescribed by the Central Government.

(2) The Chairman or any member who has any direct or indirect interest in any matter coming up for consideration at a meeting of the Board shall, as soon as it comes to his knowledge, disclose the nature of interest to the Board.

(3) A disclosure made by the Chairman or a member under sub-section (3) shall be recorded in the proceedings of the meeting, and the Chairman or such member shall recuse from any deliberation or decision of the Board with respect to that matter or any matter connected therewith:

PROVIDED that if the Chairman has to recuse himself from a proceeding of the Board, he shall designate a member of the Board to discharge the functions of the Chairman for that matter.

PROVIDED that if a member has to recuse himself from a proceeding of the Board, the Central Government shall authorise a person to attend the meeting.

(4) All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the member authorised by the Board in this behalf.

(5) No act or proceedings of the Board shall be questioned or invalidated merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the Board.

Rule __ - Technical Working Groups

(1) The Board shall for the efficient discharge of its functions, constitute as many Technical Working Groups as it may consider necessary, which shall consist of independent technical experts, having the ability to maintain and exercise independent judgment in the discharge of their duties.

(2) Each Technical Working Group constituted under sub-section (1) shall be headed by such member of the Board designated by the Chairman, having regard to his special knowledge and experience in the relevant field.

(3) The Technical Working Group for undertaking deliberations on the matters entrusted to it shall invite the relevant industry and consumer representatives to participate in its deliberations.

(4) The number of technical members and the procedure for constituting the technical working groups under sub-rule (1) above,shall be such as may be specified by regulations by the Board.

(5) The Technical Working Group constituted under sub-section (1) may be entrusted with any of the following matters, namely:-

(a) transport infrastructure and safety, including road standards;

(b) traffic management;

(c) crash investigation and forensics;

(d) data collection and analytics;

(e) motor vehicle standards;

(f) driving skill testing;

(g) development of technology, its use and testing standards for checking driving of motor vehicles under the influence of alcohol or intoxicating drugs or over speeding;

(h) inspection and certification of vehicles already in use;

(i) vehicle fuel quality;

(j) vehicle noise standards;

(k) third party insurance relating to motor vehicles;

(l) any other matter that may be entrusted to such technical working group as may be considered necessary by the Board.

(6) The Board may from time to time re-constitute the Technical Working Groups by increasing or decreasing the number of experts or by changing the subject maters entrusted to such Groups.

(7) The Board shall provide the administrative, financial and research support for smooth functioning of the Technical Working Groups.

Rule ___ - Power of Board to delegate

The Board may, by a general or special order made in writing, delegate to any member, officer of the Board or any other person subject to such conditions, if any, as may be specified in that order, such of its powers and functions under this Act (except the powers to make regulations), as it may deem necessary.

Rule ____ - Chairman and Members, etc., to be public servants

The Chairman, Members and other officers and employees of the Appellate Tribunal shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

Rule ____ - Protection of action taken in good faith

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Central Government or the Board or any officer of the Central Government or any member, officer or other employees of the Boardfor anything which is in good faith done or intended to be done under the Act or the rules or regulations made thereunder.

Rule ______–Bar of Jurisdiction

No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Board is empowered by or under therules to determine."

[No. RT-16011/01/2015-RS]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i),vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number …… dated……

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.13 19:50:33 +05'30'